

The 821st meeting of the State Expert Appraisal Committee (SEAC) was held on 23rd August, 2025 under the Chairmanship of Shri Rakesh Kumar Shrivastava for the projects which are scheduled in the agenda. Following members attended the meeting in person or through video conferencing -

1. Shri Vijay Kumar Ahirwar, Member.
2. Dr. Rakesh Kumar Pandey, Member.
3. Dr. Pallavee Bhatnagar, Member.
4. Dr. Sunita Singh, Member.
5. Dr. Sushil Manderia, Member.

The Chairman welcomed all the members of the State Expert Appraisal Committee. Before presentation of agenda items- wise the committee discussed and decided to consider the following issues: -

1. **Case No. – P2/ 1750/2025 SHRI BHARAT SHIVHARE, Regar Moholla, Ward No. - 15, Sheopur, Distt. - Sheopur (M.P.) – 476337. Prior Environment Clearance for M/s Prempura Soil Quarry for making Bricks of 1.350 Hectare Area, Khasra No. - 73/2(Pvt. Land) in Village – Prempura, Tehsil - Sheopur , District – Sheopur (M.P.) (Maximum Production – 2,000 Cubic Meter).**

The Proposed Mine is of Prior Environmental Clearance under Category B-2, in which today on 23/08/2025 the Project Proponent Shri Bharat Shivhare and his Environmental Consultant Shri Ram Vishal Shukla, Team Member, M/s. ASERIES ENVIROTEK INDIA PVT. LTD., Lucknow (U.P.) appeared and made a presentation before the committee.

Project Details	Documents submitted by the project proponent	
Name and address of the project proponent	SHRI BHARAT SHIVHARE, Regar Moholla, Ward No. - 15, Sheopur, Distt. - Sheopur (M.P.) – 476337. Prior Environment Clearance for M/s Prempura Soil Quarry for making Bricks of 1.350 Hectare Area, Khasra No. - 73/2(Pvt. Land) in Village – Prempura, Tehsil - Sheopur , District – Sheopur (M.P.) (Maximum Production – 2,000 Cubic Meter). SIA/MP/MIN/522606/2025. B2 Case.	
Khasra No./Lease Area (Government/Private)	Khasra No.-73/2,	Lease Area-1.350 Ha., Private Land (Land Owner Agreement consent copy uploaded)
Location	Village - Prempura, Tehsil- Sheopur, District- Sheopur (M.P.).	
Description of Project	Prempura Soil Quarry for making Bricks of 1.350 Hectare Area, Khasra No. 73/2 in Village – Prempura, Tehsil - Sheopur , District – Sheopur (M.P.) (Maximum Production – 2000 Cubic Meter)	
Lease Sanction Order details	Approved by letter No. 11322 dated 25/09/2024 of the Office of Collector (Mineral Branch), District- Sheopur (M.P.).	
Project Category	B2.	
SPCB Comments/CTE details	PCB ID: 169505, Consent No:CTE-130653, Consent to Establish upto 09/05/2030. Issued Date 06/06/2025.	
Mining Work	N.A.	

Blasting/Rock Brekar	
Product & Capacity	➤ Soil Quarry (for making bricks) – 2,000 M³/Year.
Other mines within 500 meter radius.	According to the Ekal Certificate dispatch no. 13692 dated 28/11/2024 of the Office Collector (Mineral Branch) District- Sheopur, 02 other mines are operated / approved within the radius of 500 meters, thus the Total Area is 3.159 ha. It happens, hence the case is of B-2 Category.
Distance from National Park/ Sanctuary/SEZ to Core/Biodiversity Buffer	According to the Ekal Certificate number 13692 dated 28/11/2024 of the Office Collector (Mineral Branch) District- Sheopur, there is no National Park/Sanctuary/Eco Sensitive Zone Biodiversity area located within the radius of 10 kilometers.
Situation of forest area at a distance of 250 meters from the proposed site.	According to the Ekal Certificate Dispatch No. 13692 dated 28/11/2024 of the Office Collector (Mineral Branch) District- Sheopur, there is no forest area within the radius of 250 meters. ➤ Forest boundary distance-5.32 km.
Tehsildar's no objection.	As per EKAL Certificate Dispatch No. 13692 dated 28/11/2024 of the Office Collector (Mineral Branch) District - Sheopur, within a radius of 500 meters there is no Human settlement, Educational Institution, Hospital, Archaeological heritage, monument of national importance, Railway line / Public building / Cremation ground. National Highway / sensitive areas such as: Radio Station, Doordarshan, Airport, Defense institute and Aquatic body / River / Pond / Dam / Stop Dam / Canal / Rural unpaved / paved road / drain. ➤ Village Kaccha rasta- 10 mt. sothern side. ➤ Nallah - 50 mt.
NOC from Gram Sabha/Gram Panchayat.	As per the resolution proposal number 02 dated 08/03/2024 of Gram Panchayat -Mathepura, District - Sheopur, the Panchayat has no objection to the mining work at the proposed site.
Present status of trees at the proposed site	Tree existing – 08 Tree felling - No
Current status of the proposed site as per Google Image.	North- Kachha Road – 10 mt. in this context PP has proposed 40 mt. as non mining area.
	South-
	East- Natural drain – 57mt., habitation – 418mt.
	West-Pakka Road- 280mt.
Status of the proposed mine in the district survey report (DSR)	The project proponent informed that letter No. 676 dated 14/01/2025 of the Office Collector (Mineral Branch) District - Sheopur the details of this mine are incorporated new District Survey Report of the District-Sheorpur.

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पोर्टल पर अपलोडेड सीटीईई M/s. Surya Ieat (Chimney), Sheopur के नाम पर जारी है जबकि परियोजना प्रस्तावक श्री भरत शिवहरे हैं समिति द्वारा इस संबंध में पूछने पर परियोजना प्रस्तावक संतोषजनक उत्तर नहीं दे सके। प्रस्तुतीकरण के पश्चात् समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निम्न जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए:-

1. संशोधित सीटीईई, (परियोजना प्रस्तावक के नाम) प्रस्तुत करें।
2. समिति द्वारा सुझाए अनुसार, समिलित कर संशोधित ईएमपी, सीईआर प्रस्तुत करें।
3. ईट (ब्रिक्स) निर्माण की अद्यतन तकनीक का प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

2. Case No P2/1751/2025 SHRI PAVAN KUMAR PATIDAR S/O SHRI RAMCHANDRA JI PATIDAR R/O VILLAGE-MAGRANA, TEHSIL-MALHARGARH DISTRICT-MANDSAUR (M.P.) Prior Environment Clearance for M/s Dodiyaameena Stone Quarry in an area of 2.0 ha. (Stone – 30047.55 cum per year) (Khasra No. 566), Village- Dodiyaameena, Tehsil Malhargarh District-Mandsaur (M.P.) [533504] (B2) .डिया प्रकरण ।

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 23/8/2025 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार Shri Varun Bhardwaj, M/s. Zenith Environment Consultancy, Noida (U.P.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	SHRI PAVAN KUMAR PATIDAR S/O SHRI RAMCHANDRA JI PATIDAR R/O VILLAGE-MAGRANATEHSIL-MALHARGARH DISTRICT-MANDSAUR (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	566 (सरकारी भूमि)	2.0 hectare.
स्थल	ग्राम डोडियामीणा, तहसील मल्हारगढ, जिला मंदसौर (M.P.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मंदसौर के पत्र क्रमांक 2236 दिनांक 04/11/2019 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
प्रकरण की स्थिति	डिया से सिया ।	
लीज क्षेत्र में क्रेशर की स्थिति	आवेदित फार्म के सरल क्रमांक 16.9 अनुसार लीज क्षेत्र में क्रेशर प्रस्तावित नहीं।	
बोर्ड द्वारा जारी सम्मति की स्थिति	क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्रमांक 1044240 द्वारा जारी स्थापना/संचालन सम्मति (सीटीई) की वैधता दिनांक 19/12/2022 तक है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर-30047.55 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर- 30047.55 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मंदसौर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 337 दिनांक 04/3/2024 के अनुसार 500 मीटर की परिधि 02 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत हैं, इस प्रकार कुल रकबा 4.50 होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।	
राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण एसईजेड /से दूरी कोर/ जैव विविधता	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मंदसौर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 337 दिनांक 04/3/2024 के अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है ।	

बफर	
प्रस्तावित स्थल से 250 मीटर की दूरी पर वन क्षेत्र की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मंदसौर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 337 दिनांक 04/3/2024 के अनुसार 250 मीटर की परिधि में वन क्षेत्र नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मंदसौर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 337 दिनांक 04/3/2024 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन / सार्वजनिक भवन / शमशान घाट / राष्ट्रीय राजमार्ग / संवेदनशील क्षेत्रों जैसे: रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय /नदी / तालाब / बांध / स्टॉप डैम / नहर / ग्रामीण कच्चा / पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत डोडियामीणा जिला मंदसौर के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 29/1/2016 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य हेतु कोई आपत्ति नहीं है का प्रस्ताव पारित।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया कि लीज क्षेत्र में कोई उनके द्वारा डिया की शर्तों के अनुसार 100 पेड़ लगाए गए हैं। जिनमें से कोई भी पेड़ काटा नहीं जाएगा।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर-पूर्व दिशा- आबादी-340मी. एवं उत्तर दिशा में आबादी-376मी.
	पूर्व दिशा- कच्चा रोड -34 मी. परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरण सलाहकार द्वारा बताया कि इस संबंध में 15 मी. का गैर खनन क्षेत्र प्रस्तावित किया है।
	पश्चिम दिशा- शेड/स्ट्रक्चर 280 मी.
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण मंदसौर जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के सरल क्रमांक 86 पर दर्ज है ।

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न-मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा की गई।

डिया ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेन्सिंग की वर्तमान स्थिति	प्रस्तावित खदान की कुल परिधि 575 मीटर में से 80 प्रतिशत ;460 उद्ध भाग में तार फेन्सिंग की गई है। अथवा शेष 20 प्रतिशत ;115 m) भाग में तार फेन्सिंग का प्रस्ताव दिया गया है। अथवा शेष 20 मीटर परिवहन मार्ग हेतु छोड़ा जायेगा द्य

ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण।	प्रस्तावित खनन क्षेत्र में 7 ⁵⁰ मीटर बेरियर जोन में 100 पौधे लगे हुए हैं द्य
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक की वर्तमान स्थिति।	परियोजना की परिधि में गारलेण्ड ड्रेन व 2 सेटलिंग टैंक लगे हुए हैं द्य
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैचेस की स्थिति।	बैचेस 1 जिसकी लेवल 466 से 443 हैं तथा गहराई 3 मीटर हैं।
रेस्ट शेल्टरए शौचालयए पीने के पानी की व्यवस्था की वर्तमान स्थिति।	सभी सुविधाओं के साथ रेस्ट शेल्टर बना हुआ हैं। जिसमें शौचालय व पीने के पानी की व्यवस्था उपलब्ध हैं। खदान क्षेत्र में प्रथमिक चिकित्सा के लिए फस्ट-एड बॉक्स भी उपलब्ध करवाया जाएगा।
7.5 मी बेरियर जोन की स्थिति।	प्रस्तावित खनन क्षेत्र में 7.50 मीटर बेरियर जोन कि स्थिति सैफ है।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्यए बजटा	परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय समय पर सामाजिक कार्यए किया गया हैंद्य साक्ष उपलब्ध है।
उत्खनन किया हुआ क्षेत्र	परियोजना क्षेत्र में पुराने खदान गड्डे का क्षेत्रफल — 0.0786 हेक्टेयर

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विषिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता पत्थर-300547.55 घनमीटर/वर्ष
2. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार खदान क्षेत्र में क्रशर/एमसेंड प्लांट प्रस्तावित है। म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित क्रशर/ एमसेंड प्लांट में वायु प्रदूषण रोधि उपकरणों की स्थापना तथा प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जावेगी।
3. ब्लास्टिंग प्रक्रिया में नियमानुसार सुरक्षात्मक उपायों का अनुपालन करते हुए आसपास के राहगीरों/कृषि भूमि/संरचना/पर्यावरण/जल निकायों/वृक्षों आदि की सुरक्षा सुनिश्चित की जायेगी।
5. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 6.18 लाख एवं रिक्ररिंग राशि रु. 4.64 लाख प्रति वर्ष।
6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 3.0 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये:-

Sr.No.	Description	Cost to be incurred (in Rs./Year)
1.	Regarding installation of 03 Kw Solar Panel Govt. School Dodiameena	2,30,000
2.	The project proponent will arrange for nature-themed paintings to be created at the Govt. School Dodiameena	15,000

3.	Will provide shed & water facility at Cremation Ground, Village Dodiameena	40,000
4.	Regarding installation of 01 water cooler in Govt. School, Dodiameena	15,000
Total		3,00,000

7. वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2000 वृक्षों का वृक्षारोपण किया जावेगा ।

3. Case No P2/1752/2025 Shri CHHITIJ KUMAR, LEESSEE, Ward No. 33, Satai Road Chhatarpur Chhatarpur (M.P.) Prior Environment Clearance for M/s Bagauta Murum Mine in an area of 3.300 ha. (10,002 cum per annum) (Khasra No. 2324/1) Village- Bagauta, Tehsil - Chhatarpur, District – Chhatarpur (M.P.). [521670] .Fresh Case -B2.

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 23/08/25 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री रामविशाल शुक्ला, टीम मैम्बर, मेसर्स M/s Aseries Envirotek India Pvt. Ltd., Lucknow उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री CHHITIJ KUMAR, LEESSEE, Ward No. 33, Satai Road Chhatarpur Chhatarpur (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	2324/1 (सरकारी-नॉन फॉरेस्ट लैंड)	3.300 hectare.
स्थल	Village- Bagauta, Tehsil - Chhatarpur, District – Chhatarpur (M.P.)	
लीज स्वीकृति	संचालक, प्रशासन एवं खनिकर्म, भौमिकी तथा खनिकर्म, मध्यप्रदेश के पत्र क्रमांक 2096 दिनांक 16/02/24 के द्वारा 10 वर्ष के लिए स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	लागू नहीं	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रकरण/क्षमता विस्तार ।	
लीज क्षेत्र में केशर की स्थिति	लागू नहीं	
बोर्ड द्वारा जारी सम्मति की स्थिति	क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सागर के Outward No:22829 दिनांक 10/06/2025 के द्वारा जारी स्थापना सम्मति (सीटीई) की वैधता दिनांक 05/06/2030 तक है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता Murum-10,002 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता Murum-10,002 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 955 दिनांक 07/06/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि कोई अन्य खदान संचालित/स्वीकृत है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।	
राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण/ एसईजेड से दूरी कोर/ जैव विविधता बफर	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 955 दिनांक 07/06/2024 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है	

	I
प्रस्तावित स्थल से 250 मीटर की दूरी पर वन क्षेत्र की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 955 दिनांक 07/06/2024 अनुसार 250 मीटर की परिधि में वन क्षेत्र नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 955 दिनांक 07/06/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाईन / सार्वजनिक भवन / शमशान घाट / राष्ट्रीय राजमार्ग / संवेदनशील क्षेत्रों जैसे: रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय /नदी / तालाब / बांध / स्टॉप डैम / नहर / ग्रामीण कच्चा / पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत बगौता जिला छतरपुर के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 15/04/2021 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य हेतु कोई आपत्ति नहीं है का प्रस्ताव पारित ।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरण सलाहकार ने बताया कि लीज क्षेत्र में 40 पेड़ स्थित हैं जो नहीं काटे जावेंगे। पेड़ों से आच्छादित क्षेत्र गैर खनन के रूप में छोड़ा गया है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर पूर्व दिशा-कच्चा रास्ता 50 मी. एवं उत्तर दिशा में उत्तर दिशा - आबादी 290मी.
	उत्तर पूर्व दिशा- एच.टी. लाइन 70 मी. एवं उत्तर दिशा - एच.टी. लाइन 50 मी.
	पश्चिम दिशा-पृथक मकान- 25मी. इस संबंध में 75 मी. तक का क्षेत्र गैर खनन के रूप में छोड़ा गया है।
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के पत्र क्रमांक 1576 दिनांक 24/09/234 अनुसार उक्त खदान को अदधतन डीएसआर में सम्मिलित किया जावेगा । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 - जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।

खदान का कुछ भाग खुदा हुआ है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया यह खदान इसी स्थिति में प्राप्त हुई है। तत्संबंध में विवरण अनुमोदित खनन योजना में दर्शाया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विषिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता मुरुम - 10,002
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 15.59 लाख एवं रिक्ररिंग राशि रु. 3.50 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 1.20 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये:-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
शासकीय माध्यमिक शाला शंकरगढ़ पुरवा,बगौता में ग्रील के साथ मेन गेट लगवाया जाएगा	1,20,000

4. वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1640 वृक्षों का वृक्षारोपण किया जावेगा ।

4. Case No P2/1753/2025 Charbhujia Stone Crusher Company, Gram Arniya Mangir, Tehsil-Neemuch District-Neemuch MP. Prior Environment Clearance for Stone (Gitti) Quarry in an area of 1.5 ha. (Stone – 9000 cum per year) (Khasra No. 325/1), Village- Arnyamangir, Tehsil and District-Neemuch (M.P.). (534017). डिया प्रकरण ।

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 23/8/2025 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार Shri Varun Bhardwaj, M/s. Zenith Environment Consultancy, Noida (U.P.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Charbhujia stone crusher, company, Gram Arniya Mangir, Tehsil- Neemuch District-Neemuch MP	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	325/1 (सरकारी लैंड)	1.5 hectare.
स्थल	ग्राम अरनिया मानगिर , तहसील एवं जिला नीमच (M.P.).	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नीमच के पत्र क्रमांक 952 दिनांक 04/7/2024 के द्वारा 10 वर्ष के लिए स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
प्रकरण की स्थिति	डिया से सिया ।	
लीज क्षेत्र में क्रेशर की स्थिति	आवेदित फार्म के सरल क्रमांक 33.10 अनुसार लीज क्षेत्र में क्रेशर प्रस्तावित नहीं है।	
बोर्ड द्वारा जारी सम्मति की स्थिति	क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, द्वारा जारी स्थापना/संचालन सम्मति (सीटीई/सीटीओ) की वैधता दिनांक तक है।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर-9000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर- 9000 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नीमच के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1729 दिनांक 06/12/2024 के अनुसार 500 मीटर की परिधि कोई अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।	
राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण / एसईजेडसे दूरी कोर/	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नीमच के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1729 दिनांक 06/12/2024 के अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल	

जैव विविधता बफर	पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है ।
प्रस्तावित स्थल से 250 मीटर की दूरी पर वन क्षेत्र की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नीमच के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1729 दिनांक 06/12/2024 के अनुसार 250 मीटर की परिधि में वन क्षेत्र नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नीमच के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1729 दिनांक 06/12/2024 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन / सार्वजनिक भवन / शमशान घाट / राष्ट्रीय राजमार्ग / संवेदनशील क्षेत्रों जैसे: रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय /नदी / तालाब / बांध / स्टॉप डैम / नहर / ग्रामीण कच्चा / पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत चम्पी जिला नीमच के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-35 दिनांक 10/3/2024 का प्रस्ताव पारित।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Existing – लीज क्षेत्र में पेड़ नहीं हैं।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा- एक प्राकृतिक नाला लीज क्षेत्र के अत्यंत समीप है जो की आगे जाकर एक बड़े डैम के रिजर्वायर से जुड़ता है।
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नीमच के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1729 दिनांक 06/12/2024 के उक्त स्वीकृत उत्खनिपट्टा को नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित कर लिया जावेगा ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति द्वारा प्रकरण के गूगल इमेज में परीक्षण के दौरान पाया कि उत्तर दिशा- एक प्राकृतिक नाला लीज क्षेत्र के अत्यंत समीप है जो कहीं कहीं लीज क्षेत्र के अंदर भी आ रहा है। पर्यावरण सलाहकार द्वारा इस संबंध में समिति से आग्रह किया कि निर्धारित स्थान व मापदंड (50मी) छोड़ने के पश्चात खनन हेतु लगभग 0.5 हे. क्षेत्र उपलब्ध होगा।

समिति ने निर्णय लिया कि चूंकि प्रकरण में ब्लास्टिंग प्रस्तावित है एवं खनन क्षेत्र मात्र 0.5 हे. क्षेत्र उपलब्ध होगा। अतः पर्यावरण सलाहकार प्राकृतिक नाला लीज क्षेत्र के अत्यंत समीप कि संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावक के सलाहकार मार्गदर्शिक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए वैकल्पिक प्रस्ताव, प्राकृतिक नाला(समीप के डैम के कैचमेंट में है)के संरक्षण प्रस्ताव भी प्रस्तुत करेंगे ।

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी किये गये ओएम दिनांक 14/01/2025 के परिप्रेक्ष्य में म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से कमेंट्स/सीटीई (अद्यतन) प्रति प्राप्त होते ही प्रकरण पर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु विचार किया जावेगा।

5. Case No.11094/2023 M/S OMKAR STONE CRUSHER, R/o B- 18/10, BASANT VIHAR, DISTRICT UJJAIN (MP)-456001. Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 1.50 ha. (14550 cum per year) (Khasra No. 188), Village-Surjanwasa, Tehsil-Ujjain, District-Ujjain (MP) [527621] [DEIAA] (EIA).

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 23/8/2025 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा ऑनलाइन, एवं श्री प्रदीप लोधी, एफएई, मेसर्स ओशियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स (इं.) प्रा.लि. गाजियाबाद, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/S OMKAR STONE CRUSHER, R/o B- 18/10, BASANT VIHAR, DISTRICT UJJAIN (MP)-456001	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	188 (सरकारी लैंड)	1.50 hectare.
स्थल	ग्राम सुरजनवास, तहसील एवं जिला उज्जैन (M.P.).	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के पत्र क्रमांक 4906 दिनांक 31/3/21 के द्वारा 10 वर्ष के लिए स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
प्रकरण की स्थिति	डिया से सिया	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया उज्जैन के पत्र क्रमांक 1122 दिनांक 31/5/16 के द्वारा पत्थर – 14,500 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापति प्राप्त है ।	
लीज क्षेत्र में केशर की स्थिति	आवेदित फार्म के सरल क्रमांक 16.9 अनुसार लीज क्षेत्र में केशर प्रस्तावित है।	
बोर्ड द्वारा जारी सम्मति की स्थिति	क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उज्जैन द्वारा जारी स्थापना/संचालन सम्मति (सीटीई/सीटीओ) की Outward No:17335 दिनांक 08/10/2021 वैधता दिनांक Board grants Consent to Establish for setting up of an mine/activities है ।	
टॉर	सेक की 740वीं बैठक दिनांक 24/4/2024 को अनुशंसानुसार सिया के पत्र क्रमांक 949 दिनांक 27/5/2024 के द्वारा पत्थर-14550 घनमीटर/वर्ष के लिए टॉर जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर-14550 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम्	

	उत्पादन क्षमता पत्थर-14550 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण-पत्र दिनांक 01/04/2021 के अनुसार 500 मीटर की परिधि 06 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 09.19 होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण एसईजेड / से दूरी कोर/ जैव विविधता बफर	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण-पत्र दिनांक 01/04/2021 के अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है ।
प्रस्तावित स्थल से 250 मीटर की दूरी पर वन क्षेत्र की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण-पत्र दिनांक 01/04/2021 के अनुसार 250 मीटर की परिधि में वन क्षेत्र नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण-पत्र दिनांक 01/04/2021 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन / सार्वजनिक भवन / शमशान घाट / राष्ट्रीय राजमार्ग / संवेदनशील क्षेत्रों जैसे: रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय /नदी / तालाब / बांध / स्टॉप डैम / नहर / ग्रामीण कच्चा / पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत सुरजनवासा जिला उज्जैन के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-12 दिनांक 08/3/2019 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य हेतु कोई आपत्ति नहीं है का प्रस्ताव पारित।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Existing - No
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा- आबादी 364 मी.
	दक्षिण दिशा- आबादी 427 मी.
	पश्चिम दिशा-कच्चा रोड 60मी.
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के सरल क्रमांक-15 पर दर्ज है ।

प्रकरण के परीक्षण के दौरान समिति ने पाया कि खदान का कुछ भाग खुदा हुआ है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया यह खदान इसी स्थिति में प्राप्त हुई है। पूर्व में इस खदान को डिया द्वारा श्री जयंत कुमार के नाम से पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई थी तदुपरांत यह खदान नवीन पीपी के नाम से सिया द्वारा इसी ट्रांसफर (प्रकरण क्रमांक 8828/21) दिनांक 01/12/24 को की गई थी।

प्रस्तुतीकरण के पश्चात् समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये :-

- प्रस्तुत ईआईए में टॉर कम्पलाईन्स को बिन्दुवार ईआईए चेप्टर के अनुसार संदर्भ अंकित करें, टॉर के बिन्दुवार कम्पलाईन्स का पालन विवरण अंकित करें।
- ईआईए रिपोर्ट के पेज नं. 06 चैप्टर 08/09 में आवश्यक संशोधन कर प्रस्तुत करें।
- ईआईए रिपोर्ट के पेज नं. 47 टेबल 2.8 एवं फिगर 2.7 में आवश्यक संशोधन कर प्रस्तुत करें।
- ईआईए रिपोर्ट के पेज नं. 62 IS: 10500-1991 के अनुसार मिलान कर water quality parameters, including physical, chemical, and microbiological contaminants आवश्यक संशोधन कर प्रस्तुत करें।
- ईआईए रिपोर्ट के पेज नं. 64 में दी गई भूजल गुणवत्ता की जानकारी में स्रोत का उल्लेख करें।
- जन सुनवाई के दौरान उठाये गये बिन्दुओं का ईएमपी एवं सीईआर योजना में समिति के सुझाये अनुसार समावेश करें।
- समिति द्वारा सुझाए अनुसार संशोधित ईएमपी एवं सीआर योजना।

6. Case No P2/1754/2025 SHRI Prashant Bhai Patel, 26, Village Kachnariya, Awas Colony, Sehore, Prior Environment Clearance for Kachnariya Stone mine for making Gitti through Crusher of 1.00 Hectare Area, Khasra No. 137/1/2, 647/137, in Village – Kachnariya, Tehsil – Shyampur, District- Sehore (M.P.) (Maximum Production – 5,000 Cubic Meter) (536276). Fresh -B2 Case.

The proposed mine is of prior environmental clearance under category B-2, in which today on 23/08/2025 the project proponent Shri **Prashant Bhai Patel**. and his environmental consultant Shri Ram Vishal Shukla, Team Member and Meena Chourasia, FAE, M/s. Aseries Envirotek India Pvt Ltd Lucknow. and made a presentation before the committee.

Project Details	Documents submitted by the project proponent	
Name and address of the project proponent	Prashant Bhai Patel, 26, Village Kachnariya, Awas Colony, Sehore,	
Khasra No. Area (Government/Private)	137/1/2, 647/137, Pvt. Land	1.00 ha
Location	Village – Kachnariya, Tehsil – Shyampur, District- Sehore (M.P.)	
lease approval	Issued vide letter no. 10434-35 dated 25/09/2024	
Old SEIAA EC	1693/SEIAA/2014/Dated 07/11/2014 for 10 years (07.11.2014 to 06.11.2024.)	
Blasting/Rock Breaker	Blasting is proposed	
crusher status	crusher is in the Lease area as per Online form point 24	
CTE	Outward No:26964,12/06/2025, Consent No: CTE-130775, PCB ID: 169467	
Production capacity	5,000 Cum/ Year	
Other mines within 500-meter radius	According to the Ekal certificate number 5265 dated 13/12/2024 of the Office Collector (Mineral Branch) District Sehore, there is another mine of 1.0 ha. within the radius of 500 meters, hence total area shall be 2.0 ha. Hence case is falling under B-2 category.	
Distance from National Park/Sanctuary/SEZ to Core/Biodiversity Buffer	According to the Ekal certificate number 5265 dated 13/12/2024 of the Office Collector (Mineral Branch) District Sehore. There is no National Park/Sanctuary/SEZ to Core/Biodiversity Buffer	
Situation of forest area at a distance of 250 meters from the proposed site	According to the Ekal certificate number 5265 dated 13/12/2024 of the Office Collector (Mineral Branch) District Sehore there is no Situation of forest area at a distance of 250 meters from the proposed site	
Tehsildar's no objection	As per Ekal certificate No. 5265 dated 13/12/2024 of the Office Collector (Mineral Branch) District Sehore there is no any human habitation/ educational institution/ hospital/ archaeological heritage/ monument of national importance/ railway line/ public building/ cremation ground/ national highway/ state highway/ sensitive areas like radio station, Doordarshan, airport, defence institute etc. within 500 meters from the quarry/ mining lease	
NOC from Gram Sabha/Gram Panchayat	As per the resolution proposal number 14 of Gram Panchayat Kachnariya 25/02/2023 District Sehore the Panchayat has no objection to the mining work at the proposed site.	

Present status of trees at the proposed site	Tree existing within lease area- 06 Tree felling- No.
Current status of the proposed site as per Google Image	South- Pucca Road 416 m
	East- Kachha Rasta 17m, setback of 33 m is proposed as non- mining area.
Status of the proposed mine in the district survey report	According to Ekal उक्त खदान का विवरण नवीन डीएसआर में जोड़ा जावेगा।

खदान का कुछ भाग खुदा हुआ है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया यह खदान इसी स्थिति में प्राप्त हुई है। तत्संबंध में विवरण अनुमोदित खनन योजना में दर्शाया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य पाई गई।

1. As per the approved mining plan, the maximum production capacity shall be Stone -5000 cum.
2. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार खदान क्षेत्र में क्रशर/एमसेंड प्लांट प्रस्तावित है। म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित क्रशर/ एमसेंड प्लांट में वायु प्रदूषण रोधि उपकरणों की स्थापना तथा प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जावेगी।
3. ब्लास्टिंग प्रक्रिया में नियमानुसार सुरक्षात्मक उपायों का अनुपालन करते हुए आसपास के राहगीरों/कृषि भूमि/संरचना/पर्यावरण/जल निकायों/वृक्षों आदि की सुरक्षा सुनिश्चित की जायेगी।
4. Under the Environmental Management Plan (EMP) head, the capital cost shall be Rs. 15.46 lakh and the recurring cost shall be Rs. 3.83 lakh per year.
5. Under the CER head, an amount of Rs. 1.50 lakh shall be allocated as per the details below, and all activities proposed under CER shall be completed within the next 01 years:

S.n	Proposed Activities under CER Head	Amount (in Rs.)
1.	शासकीय हाईस्कूल कचनारिया में 2 KW का सोलर पैनल एवं साइंस किट	1,50,000

4. As per the plantation program (with continuous irrigation, replacement of dead plants for five years, and maintenance throughout the mining period), at least 515 trees shall be planted.

प्रस्तुतीकरण के दौरान पर्यावरण सलाहकार द्वारा बताया गया कि पेसा संबंधी एनओसी प्रक्रिया में है जो शीघ्र ही प्रस्तुत की जावेगी। समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि पेसा संबंधी एनओसी प्राप्त होते ही प्रकरण पर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु विचार किया जावेगा।

7. Case No. P2/1758/25, Shri Fajit S/O Shri Budhiya Bhil R/o: Village Abhapuri, Tehsil- Jhirniya, District:- Khargone, State: -Madhya Pradesh Prior Environment Clearance for Laikhedi Stone (Gitti & M-sand) Quarry in an area of 3.00 ha. [Stone (gitti): 25,000 m³/year & M-sand: 25,000 m³/year], (Khasra No. 119 (Pvt. Land), Village- Laikhedi, Tehsil- Jhirniya, District- Khargone (M.P.) [541086] .(Fresh -B2)

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 23/8/2025 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री शिशुपाल वर्मा, Super Tech Environmental Services, Bhopal (M.P.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri Fajit Bhil S/o Shri Budhiya Bhil R/O: Abhapuri, Tehsil- Jhirniya District Khargone (M.P)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	119 (निजी भूमि)	3.00 hectare.
स्थल	ग्राम लाईखेडी, तहसील झिरन्या, जिला खरगोन (M.P.).	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के पत्र क्रमांक 635 दिनांक 10/6/2024 के द्वारा 10 वर्ष के लिए स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रकरण ।	
लीज क्षेत्र में केशर की स्थिति	आवेदित फार्म के सरल क्रमांक 16.9 अनुसार लीज क्षेत्र में केशर प्रस्तावित है।	
बोर्ड द्वारा जारी सम्मति की स्थिति	क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इंदौर द्वारा जारी स्थापना सम्मति (सीटीई) की Outward No:29156, दिनांक 10/06/2025 वैधता की Consent to Establish for setting up of an Crusher plant/ Mine activities at Khasra No.-119, Vill.-Laikhedi, Tehsil- Jhirniya, District- Khargone तक है।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर- 25000 घनमीटर/वर्ष एवं एम. सैंड 25000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर- 25000 घनमीटर/वर्ष एवं एम. सैंड 25000 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के पत्र क्रमांक 5112 दिनांक 27/1/2025 के अनुसार 500 मीटर की परिधि 01 अन्य खदानें	

	संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 4.880 होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।
राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण एसईजेड /से दूरी कोर/ जैव विविधता बफर	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के पत्र क्रमांक 5112 दिनांक 27/1/2025 के अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है ।
प्रस्तावित स्थल से 250 मीटर की दूरी पर वन क्षेत्र की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के पत्र क्रमांक 5112 दिनांक 27/1/2025 के अनुसार 250 मीटर की परिधि में वन क्षेत्र नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के पत्र क्रमांक 5112 दिनांक 27/1/2025 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन / सार्वजनिक भवन / शमशान घाट / राष्ट्रीय राजमार्ग / संवेदनशील क्षेत्रों जैसे: रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय /नदी / तालाब / बांध / स्टॉप डैम / नहर / ग्रामीण कच्चा / पक्का रास्ता / नाला नहीं है।
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत बैढाण्या बुजुर्ग जिला खरगोन के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-54 दिनांक 02/10/2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य हेतु कोई आपत्ति नहीं है का प्रस्ताव पारित।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Existing within lease area - 02 Tree felling- No
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा- - उत्खनिपट्टे के उत्तर पश्चिम दिशा में 115 मीटर एवं 215 मीटर की दूरी पर नजदीकी स्थित खदान के साईट ऑफिस एवं रेस्ट शेल्टर स्थित है । - उत्खनिपट्टे के उत्तर दिशा में 370 मीटर पर एक कच्चा रास्ता गुजर रहा है । - उत्खनिपट्टे के उत्तर पूर्व दिशा में 385 मीटर पर एक पक्का रास्ता गुजर रहा है । दक्षिण दिशा- उत्खनिपट्टे से दक्षिण दिशा में लगभग 137 मीटर पर चेक डैम स्थित है स्थित है जिसके सम्बन्ध में पर्यावरण सलाहकार द्वारा बताया गया कि चेक डैम से 200 मीटर तक कोई भी खनन कार्य नहीं किया जावेगा एवं जिसके अंतर्गत गैर खनन क्षेत्र के रूप में लगभग 0.2948 हेक्टेयर का रकबा छोड़ा गया है । - उत्खनिपट्टे के दक्षिण दिशा में 318 मीटर पर एक कच्चा रोड स्थित है ।

	पूर्व दिशा-
	पश्चिम दिशा-
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के पत्र क्रमांक 5112 दिनांक 27/1/2025 के अनुसार उपरांत उत्खनिपट्टा को आगामी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित कर लिया जावेगा ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी निम्नानुसार है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार उत्पादन क्षमता - गिट्टी पत्थर 25000 घनमीटर/वर्ष एवं एम् सैंड - 25000 घनमीटर/वर्ष।
2. ब्लास्टिंग प्रक्रिया में नियमानुसार सुरक्षात्मक उपायों का अनुपालन करते हुए आसपास के राहगीरों/कृषि भूमि/संरचना/पर्यावरण/जल निकायो/वृक्षों आदि की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।
3. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार खदान क्षेत्र में एम् सैंड क्रेशर प्लान्ट प्रस्तावित है।
4. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु 2.00 लाख तथा सी.ई.आर में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 1 वर्ष में पूर्ण किये जाये ।

सी.ई. आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि		
1.	Solar panel system of 3.0 kw capacity will be installed at village Govt. middle school Laikhedi (excluding subsidy) and educational paintings including environment awareness on the walls of the school & Science related educational items will be distributed.	1,70,000/-
2.	Whitewash of the village Aaganwadi kendra Kudyala & its boundary with educational painting on its wall	30,000/-
योग		2,00,000/-

4. वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 3600 वृक्षों का वृक्षारोपण ।

समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि निम्नलिखित क्वेरी/जानकारी प्राप्त होते ही प्रकरण पर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु विचार किया जावेगा।

- उक्त उत्खनिपट्टा पैसा ग्राम के अंतर्गत आता है जिसके सम्बन्ध में समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि उत्खनिपट्टे के लिए पैसा ग्राम अनापति परिवेश पोर्टल पर ADS के माध्यम से अपलोड की जावे।

- समिति द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान पर्यावरण प्रबंधन योजना में सुझाये गए सुधार कर पर्यावरण प्रबंधन योजना अपडेट कर परिवेश पोर्टल पर ADS के माध्यम से अपलोड की जावे।
- उत्खनिपट्टे क्षेत्र पर छिड़काव हेतु उपयोग में आने वाला आवश्यक जल के स्रोत का स्पष्ट उल्लेख प्रस्तुत किया जावे। यदि भूजल स्रोत का उपयोग किया जाना प्रस्तावित हो तो सेंट्रल ग्राउंड वॉटर अथॉरिटी की अनापत्ति प्रस्तुत की जावे।

8. Case No P2/1759/2025 Shri Vikas Kumar Jain, S/o- Shri Nirmal Chand Jain R/o- Ward No. 15, Gandhi Chouk Amarpatan, District- Maihar (M.P) Prior Environment Clearance for M/s Bhathiya Stone Mine in an area of 1.589 ha. (12,000 cum per annum) (Khasra No. 602, 603, 604, 605/1, 605/4, 605/5, 601/1) Village-Bathiya, Tehsil-Maihar, Maihar (M.P.). [539483] (B2). डिया प्रकरण।

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत डिया की पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए प्राइजल का है, जिसमें आज दिनांक 23/08/25 को परियोजना प्रस्तावक श्री विकास जैन ऑनलाइन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्रीमति मीना चौरसिया एफएई, मेसर्स Aseries Envirotek India Pvt Ltd. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री VIKAS JAIN, Lease Owner, R/o- Ward No. 15, Gandhi Chauk, Amarpatan, Maihar, Madhya Pradesh - 485775
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	602, 603, 604, 605/1, 605/4, 605/5, 601/1 (निजी-नॉन फॉरेस्ट लैंड परियोजना प्रस्तावक स्वयं की एक अन्य खसरा अन्य भू स्वामी की है जिनकी सहमति परियोजना प्रस्तावक को प्राप्त) 1.589 hectare.
स्थल	Village-Bathiya, Tehsil-Maihar, District-Maihar (M.P.).
लीज स्वीकृति	लीज अनुबंध दिनांक 25/08/2027 के द्वारा 10 वर्ष के लिए अनुबंधित।
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	लागू नहीं है।
प्रकरण की स्थिति	DEIAA प्रकरण।
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया सतना के पत्र क्रमांक 3633 दिनांक 14/12/17 के द्वारा पत्थर-पत्थर-12,000 घनमीटर /वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापति प्राप्त है।
लीज क्षेत्र में केशर की स्थिति	आवेदित फार्म के सरल क्रमांक 33.10 अनुसार आवेदित स्थल पर केशर प्रस्तावित नहीं है।
बोर्ड द्वारा जारी सम्मति की स्थिति	क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सतना द्वारा पत्र Outward No:15276 दिनांक 28/12/2024 के जारी संचालन सम्मति (सीटीओ) की वैधता दिनांक 27/03/25 तक थी।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर-12,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर-12,000 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1492 दिनांक 28/07/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि 01 अन्य खदान संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 03.325 होता है, अतः प्रकरण बी-2

	श्रेणी का है।
राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण/ एसईजेड से दूरी कोर/ जैव विविधता बफर	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1492 दिनांक 28/07/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल से 250 मीटर की दूरी पर वन क्षेत्र की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1492 दिनांक 28/07/23 अनुसार 250 मीटर की परिधि में वन क्षेत्र नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1492 दिनांक 28/07/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाईन / सार्वजनिक भवन / शमशान घाट / राष्ट्रीय राजमार्ग / संवेदनशील क्षेत्रों जैसे: रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय / नदी / तालाब / बांध / स्टॉप डैम / नहर / ग्रामीण कच्चा / पक्का रास्ता / नाला नहीं है।
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत के दिनांक 12/08/16 के ठहराव प्रस्ताव अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य हेतु कोई आपत्ति नहीं है का प्रस्ताव पारित।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Existing- 01 Tree Felling - No परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि लीज क्षेत्र में 50 पेड़ लगाए गए हैं।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर पूर्व दिशा-आबादी 105 मी.
	दक्षिण दिशा- आबादी 131 मी.
	दक्षिण पूर्व दिशा-कुआ 75मी.
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-159 के सरल क्रमांक-74 पर दर्ज है।

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा की गई।

डिया ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेन्सिंग की वर्तमान स्थिति	टोटल लीज एरिया पेरिफेरि 698मी. में से 60: ;419उद्ध फेन्सिंग का कार्य हुआ है। 40% (279m) अभी बकी है।

ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बैरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार 72 पौधे लगाये जाने थे अतः वर्तमान में 50 पौधे लीज क्षेत्र के 7.5 मी. बैरियर जोन में लगे हुए हैं।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई। टोटल गारलेण्ड ड्रेन पेरिफेरी 658मी. में से केवल 172मी. गारलेण्ड ड्रेन बना हुआ है। 386मी बकी है। एवं सेटलिंग टैंक नहीं बना है।
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बेंचेस की स्थिति।	बेंचेस अवलोकित नहीं है।
रेस्ट शेल्टर, शौचालय, पीने के पानी की व्यवस्था की वर्तमान स्थिति	सभी सुविधाओं के साथ रेस्ट शेल्टर का निर्माण करवाया गया है। जिसमें शौचालय व पीने के पानी की व्यवस्था भी उपलब्ध है। खदान क्षेत्र में प्रथमिक चिकित्सा के लिए फास्ट-एड बॉक्स भी उपलब्ध है।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया है। कि ग्राम बथिया के सड़क उबड़-खाबड़ होने पर लगभग मिट्टी, मुरुम, एवं पत्थर के टुकड़ों को मिला कर सड़क का समतलिकरण करवाया गया है। किन्तु साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।
7.5 मी बैरियर जोन की स्थिति	वर्तमान में 7 ^{ण्ड} 5 मी बैरियर जोन उत्तर दिशा व उत्तर पश्चिम दिशा की ओर 0.143 हेक्टेयर एरिया खुदा हुआ है। जिसमें उत्तर उत्तर पश्चिम दिशा की ओर पी.पी. द्वारा बैरियर जोन एरिया 0.07 हेक्टेयर, 4.0 मी0 गहराई तक 2800 घनमीटर अपशिष्ट भरवा दिया गया है। उत्तर दिशा की ओर एरिया 0.043 हेक्टेयर, एवं उत्तर पश्चिम दिशा 0.030 हेक्टेयर लगभग 4.0 मी की गहराई तक खुदा है। अधिक बारिश होने के कारण उत्तर दिशा की ओर पुर्नभरण का कार्य नहीं हो पाया है अतः उत्तर व उत्तर पश्चिम दिशा दिशा की ओर पुर्नभरण एरिया 0.073 हेक्टेयर, लगभग 4.0 मी की गहराई में लगभग 2920 घनमीटर अपशिष्ट की आवश्यकता होगी जिसकी पूर्ति खनन द्वारा निकले अपशिष्ट से किया जायेगा जिसकी लागत राशि ईएमपी में शामिल की गई है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी निम्नानुसार है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार उत्पादन क्षमता - पत्थर 12,000 घनमीटर/वर्ष
2. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु 1.50 लाख तथा सी.ई.आर में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 1 वर्ष में पूर्ण किये जाये।

सी.ई. आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि		
1.	बथिया गांव के सरकारी प्रथमिक स्कूल में 3 केवी का सोलर पेनल की स्थापना करवाया जावेगी जाएगा। एवं स्कूल की दीवारों पर रंग-बिरंगी शैक्षिक और पर्यावरण को	1,50,000

	परिभाषित करने वाली थीम पर पेंटिंग करवाया जाएगा ।	
--	--	--

4. वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 800 वृक्षों का वृक्षारोपण ।

समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि निम्नलिखित क्वेरी/जानकारी प्राप्त होते ही प्रकरण पर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु विचार किया जावेगा।

- वैध सीटीओ खसरा नं. के साथ अपलोड करें।
- समिति द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान पर्यावरण प्रबंधन योजना में सुझाये गए सुधार कर पर्यावरण प्रबंधन योजना अपडेट कर परिवेश पोर्टल पर ADS के माध्यम से अपलोड की जावे।

9. **Case No. – P2/1760 /2025 Shri Manindar Singh Sandhu, M/s Shree Radhe Stones, Partner, R/O - Bamuriya Foot, P.H. NO.- 10, Tehsil & District - Ashoknagar (M.P.)- 473331. Prior Environment Clearance for Bamuriya Foot Stone quarry. Lease Area – 1.20 Ha. STONE & M-SAND - 25,000 Cub Meter/year (Stone Gitti- 10,000 Cub Meter/year & M-Sand – 15,000 Cub Meter/year, at khasra no.- 538/1, 538/2/2, Village- Bamuriya Foot, Tehsil– Ashoknagar, District- Ashoknagar (M.P.). B2 Case - DEIAA to SEIAA.**

प्रकरण आज सेक की 821वीं बैठक दिनांक 23/08/2025 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए एवं ऑनलाईन भी नहीं जुड़े। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक से कोई सूचना भी प्राप्त नहीं है। प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात प्रकरण की समीक्षा हेतु विचार किया जा सकेगा ।

10. Case No. P2/1761/2025, Shri Mahendra Singh Chouhan S/o Shri Shivbaksh Singh Chouhan Residence: - R/O: Vivekanand Ward-2, Tehsil Bhainsdehi District Betul, State: -Madhya Pradesh Prior Environment Clearance for Ghudiyana Stone Quarry in an area of 1.55 ha. [Stone – 10,000 m³/year], (Khasra No. 166/2/2 (Private Land), Village: - Ghudiyana, Tehsil- Bhainsdehi, District: - Betul (M.P) [535592] (Fresh -B2).

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 23/8/2025 को परियोजना प्रस्तावक श्री महेंद्र सिंह चौहान ऑनलाइन जुड़े एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री शिशुपाल वर्मा, M/s. Super Tech Environmental Services, Bhopal (M.P.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri MAHENDRA SINGH CHOUHAN S/O SHRI SHIVBAKSH SINGH CHOUHAN R/O: VIVEKANAND WARD-2, TEHSIL BHAINSDEHI DISTRICT BETUL (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	166/2/2 (निजी लैंड)	1.55 hectare.
स्थल	ग्राम धुडियानई, तहसील भैंसदेही, जिला बैतूल (M.P.).	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल के पत्र क्रमांक 1740 दिनांक 25/10/2024 के द्वारा 10 वर्ष के लिए स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रकरण ।	
लीज क्षेत्र में केशर की स्थिति	आवेदित फार्म के सरल क्रमांक 16.9 अनुसार लीज क्षेत्र में केशर प्रस्तावित नहीं।	
बोर्ड द्वारा जारी सम्मति की स्थिति	क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, छिंदवाड़ा द्वारा जारी स्थापना सम्मति (सीटीई) की Outward No:17535 दिनांक 13/06/2025 वैधता दिनांक Consent to Establish upto 30/04/2030 तक है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर- 10000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर- 10000 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल के पत्र क्रमांक 12 दिनांक 01/1/2025 के अनुसार 500 मीटर की परिधि 02 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 4.65 होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।	
राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण एसईजेड /से	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल के पत्र क्रमांक 12 दिनांक 01/1/2025 के अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल	

दूरी कोर/ जैव विविधता बफर	पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है ।
प्रस्तावित स्थल से 250 मीटर की दूरी पर वन क्षेत्र की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल के पत्र क्रमांक 12 दिनांक 01/1/2025 के अनुसार 250 मीटर की परिधि में वन क्षेत्र नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल के पत्र क्रमांक 12 दिनांक 01/1/2025 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत क्षेत्र से नदी 250 मीटर की दूर एवं पक्का रास्ता 50 मीटर दूरदूर स्थित है ।
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत धुडियानई जिला बैतूल के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-04 दिनांक 16/8/2024 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य हेतु कोई आपत्ति नहीं है का प्रस्ताव पारित। (तहसील भैंसदेही पेसा के तहत आती है)
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	● प्रस्तावित खदान क्षेत्र में स्थित पेड़ों की संख्या - 4 ● काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या -01 ● Additional tree to be planted -10
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	पश्चिम दिशा - -उत्खनिपट्टे से पश्चिम दिशा में लगभग 78 मीटर पर पक्का रास्ता स्थित है । जिसके सम्बन्ध में पर्यावरण सलाहकार द्वारा बताया गया कि अनुमोदित खनन योजना अनुसार पक्के रोड से 100 मीटर तक कोई खनन कार्य नहीं किया जावेगा एवं एवं शेष क्षेत्र में खनन कार्य बिना ब्लास्टिंग के रॉक ब्रेकर के माध्यम से किया जावेगा । -उत्खनिपट्टे से पश्चिम दिशा में लगभग 210 मीटर की दूरी पर नाला स्थित है । -उत्खनिपट्टे से पश्चिम दिशा में लगभग 206 मीटर की दूरी पर रपटा स्थित है । -उत्खनिपट्टे से पश्चिम दिशा में लगभग 275 मीटर की दूरी पर जल रोकने की संरचना स्थित है । पूर्व दिशा - -उत्खनिपट्टे से पूर्व दिशा में लगभग 325 मीटर की दूरी पर पक्का रास्ता स्थित है । -उत्खनिपट्टे से पूर्व दिशा में लगभग 220 मीटर की दूरी पर नजदीकी स्थित खदान के साईट ऑफिस एवं रेस्ट शेल्टर स्थित है।
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल के पत्र क्रमांक 12 दिनांक 01/1/2025 के अनुसार उक्त उत्खनिपट्टा को आगामी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में

स्थिति	सम्मिलित कर लिया जावेगा ।
--------	---------------------------

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति द्वारा पाया गया की उत्खनिपट्टे क्षेत्र में खुदा हुआ परिलक्षित हो रहा है जिसके सम्बन्ध में पर्यावरण सलाहकार द्वारा बताया गया कि परिलक्षित हो रहा गड्ढा नवीन सैद्धांतिक स्वीकृति दिनांक 25-10-2024 से पहले का खुदा हुआ है जिसका उल्लेख अनुमोदित खनन योजना में भी किया गया है एवं मानचित्रकार के प्रतिवेदन दिनांक 23-10-2024 अनुसार आवेदित क्षेत्र पूर्व में श्रीमती संध्या सिंह चौहान के पक्ष में अवधि 01.07.2013 से 30.06.2023 तक स्वीकृत था ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी -

- 1- पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 16.78 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 2.36 लाख प्रति वर्ष।
- 2- परियोजना प्रस्तावक के अनुसार खदान क्षेत्र में क्रेशर प्लान्ट प्रस्तावित नहीं है।
- 3- अनुमोदित खनन योजना अनुसार उत्खनिपट्टे में ब्लास्टिंग नहीं की जावेगी ।
- 4- सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु 1.10 लाख तथा सी.ई.आर में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 1 वर्ष में पूर्ण किये जाये ।

सी.ई. आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि		
1.	Solar panel system of 2.0 Kw capacity will be installed at Govt. Primary school of village Ghudiyana (excluding subsidy) along with whitewash of the same school with educational paintings on the walls regarding environment awareness.	1,10,000/-

- 5- वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1870 वृक्षों का वृक्षारोपण ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान पर्यावरण सलाहकार द्वारा बताया गया कि पेसा संबंधी एनओसी प्रक्रिया में है जो शीघ्र ही प्रस्तुत की जावेगी। समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि पेसा संबंधी एनओसी प्राप्त होते ही प्रकरण पर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु विचार किया जावेगा।

11. Case No. 1757/2014 Shei ASHISH THAKUR, Owner (Project Proponent) , 41, NAYAGAWAN, HOUSING BOARD SOCIETY RAMPUR, DISTRICT JABALPUR, MADHYA PRADESH Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 2.00 ha. (Gitti – 13500 cum per annum and M-Sand – 1500 cum per annum) (Khasra No. 21/1) Village Ghutiya, Tehsil Jabalpur District Jabalpur (M.P.). (EC Amendment) .

प्रस्तावित खदान पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन का है, जिसमें आज दिनांक 23.08.2025 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार Shri Ram Milam Pathak M/s. VISIONTECH ENVIRONMENT AND SURVEY WORKS PVT. LTD. Bhopal उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण के दौरान निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत की।

- परियोजना प्रस्तावक को सिया के पत्र क्रमांक 9526 दिनांक 18/12/2015 के द्वारा पत्थर-15,000 घनमीटर/वर्ष 03/06/22 पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई थी ।
- उक्त लीज का नवीनीकरण संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक 11244 दिनांक 23/08/23 के द्वारा दिनांक 04/06/22 से 10 वर्ष तक के लिए करते हुए एम सैंड जोड़ा गया है।
- परियोजना प्रस्तावक ने Gitti – 13500 cum per annum and M-Sand – 1500 cum per annum अनुमोदित खनन प्रस्तुत करते हुए सिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति में Gitti – 13500 cum per annum and M-Sand – 1500 cum per annum हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन हेतु आवेदन किया गया है ।

समिति द्वारा प्रकरण के परीक्षण के दौरान पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में सिया से प्राप्त पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन करते हुए Gitti – 13500 cum per annum and M-Sand – 1500 cum per annum हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में अमेंडमेंट/संशोधन हेतु आवेदन किया है। प्रकरण में पूर्व में सिया से पत्थर-15,000 घनमीटर/वर्ष हेतु प्राप्त पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त की गई थी। वर्तमान में अमेंडमेंट/संशोधन चाहते हुए गिट्टी 13500 घनमीटर प्रतिवर्ष एवं एमसैंड 1500 घनमी. प्रतिवर्ष आवेदन किया है।

समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि चूंकि पत्थर के उत्पादन में परिवर्तन हो रहा है (पत्थर-15,000 घनमीटर/वर्ष से गिट्टी 13,500 घनमीटर प्रतिवर्ष) एवं एमसैंड प्लांट लीज क्षेत्र में अतिरिक्त स्थापित किया जा रहा है अतः परियोजना प्रस्तावक को फ्रेश पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु आवेदन करना होगा।

12. Case No. – P2/1755/2025 Shri Manoj Saraf S/o. Shri Bharosi Lal Sarraf, R/o 387/1, Ward no - 09 Madhuwan Nagar Radhika Nikunj – Sheopur, Distt. - Sheopur (M.P.) - 476337, Prior Environment Clearance for M/s Roopnagar Soil Quarry (For Making Bricks) of 2.00 Hectare Area, Khasra No. - 499, 510, 512 & 514(Pvt. Land) in Village – Roopnagar, Tehsil - Sheopur, District – Sheopur (M.P.), (Maximum Production – 2,720 Cubic Meter). SIA/MP/MIN/508686/2025. डिया प्रकरण – बी 2.

The Proposed Mine is of Prior Environmental Clearance under Category B-2, in which today on 23/08/2025 the Project Proponent Shri Manoj Saraf S/o. Shri Bharosi Lal Sarraf and his Environmental Consultant Smt. Meena Chaurasia FAE and Shri. Ram Vishal Shukla Team Member M/s ASERIES ENVIROTEK INDIA PRIVATE LIMITED, Lucknow (U.P.) appeared and made a presentation before the committee.

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
Name and address of the Project proponent	Shri Manoj Saraf S/o. Shri Bharosi Lal Sarraf, R/o 387/1, Ward no - 09 Madhuwan Nagar Radhika Nikunj – Sheopur, Distt. -Sheopur (M.P.) - 476337, Prior Environment Clearance for M/s Roopnagar Soil Quarry (For Making Bricks) of 2.00 Hectare Area, Khasra No. - 499, 510, 512 & 514(Pvt. Land) in Village – Roopnagar, Tehsil - Sheopur, District – Sheopur (M.P.), (Maximum Production – 2,720 Cubic Meter/year). SIA/MP/MIN/508686/2025. (DEIAA to SEIAA).
Khasra No. Lease Area (Government/Private)	Khasra No. 499, 510, 512 & 514. Lease Area — 2.00 Ha., ;Private Land, Agreement with Smt. Mona Saraf)
Project Location	Village – Roopnagar, Tehsil - Sheopur, District – Sheopur (M.P.).
Description of Project	Roopnagar Soil Quarry (for making bricks) of 2.00 Hectare Area, Khasra No. 499, 510, 512 & 514 in Village – Roopnagar, Tehsil - Sheopur, District – Sheopur (M.P.) (Maximum Production – 2720 Cubic Meter).
Lease Sanction Order details	DGM, Office, Bhoapal vide letter no. 13294 dated 05/10/2023.
Project Category	B2.
SPCB Comments/CTE details.	PCB ID: 21805, Consent No:CTE-91211, Consent Valid up to 12/03/2022. Issued Date: 17/09/2021.
Mining work: Blasting details	N.A.
DEIAA EC details (If Applicable).	EC issued DEIAA Sheorpur vide letter no. 5390 dated 25/04/2017. Soil Quarry (for making bricks) – 2,720 Cubic meters per year.
Product & Capacity details	Soil Quarry (for making bricks) – 2,720 M ³ /Year.
Other mines within 500 meter radius.	According to the Ekal Certificate dispatch no. 5952 dated 09/05/2024 of the Office Collector (Mineral Branch) District- Sheopur, 01 other mines are operated / approved within the radius of 500 meters, thus the Total Area is 3.00 ha. It happens, hence the case is of B-2 Category.
Distance from National Park/ Sanctuary/SEZ to Core/Biodiversity Buffer	According to the Ekal Certificate number 5952 dated 09/05/2024 of the Office of the Collector (Mineral Branch) District- Sheopur, there is no National Park/Sanctuary/Eco Sensitive Zone Biodiversity area located within the radius of 10 kilometers. ➤ Forest Boundary- 4200 mt.

Tehsildar's no objection.	As per EKAL Certificate Dispatch No. 5952 dated 09/05/2024 of the office of Collector (Mineral Branch) District- Sheopur, within a radius of 500 meters there is no Human settlement, Educational Institution, Hospital, Archaeological heritage, monument of national importance, Railway line / Public building / Cremation ground. National Highway / sensitive areas such as: Radio Station, Doordarshan, Airport, Defense institute and Aquatic body / River / Pond / Dam / Stop Dam / Canal / Rural unpaved / paved road / drain. ➤ NH-52 distance – 100 mt.
NOC from Gram Sabha/Gram Panchayat.	As per the resolution proposal number 19 dated 17/08/2025 of Gram Panchayat Jwalapur, District Sheorpur, the Panchayat has no objection to the mining work at the proposed site.
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	The project proponent informed stated that 110 trees are existing within lease area out of these 18 trees are in the mining zone, no trees uprooting is proposed. Tree Felling – No
प्रस्तावित खदान की गूगल इमेज अनुसार स्थिति (यदि सेटबैक आवश्यक हो)	उत्तर दिशा— स्कूल- 208 मी.
	दक्षिण दिशा—
	पूर्व दिशा— कच्चा रोड़ – 28 मी., आबादी 360 मी.
	दक्षिण दिशा पक्का रोड़ –92 मी., दक्षिण पश्चिम दिशा— नहर- 160 मी.
Status of the proposed mine in the district survey report (DSR)	The project proponent informed that the details of this mine are recorded on serial number - 07 of page no.- 25 of the approved new District Survey Report of the District.

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न-मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा की गई।

डिया ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
चारों ओर फेन्सिंग की वर्तमान स्थिति	टोटल लीज बाउण्ड्री लेंथ 930 मी. में फेंसिंग की गई थी किन्तु वर्तमान में केवल 80 प्रतिशत फेन्सिंग है।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	पट्टेदार द्वारा बताया गया कि 300 पौधे लगाये गये थे किन्तु वर्तमान में कुल 110 पेड़ लीज क्षेत्र में लगे हुये है। पट्टेदार द्वारा 50 पौधे इस वर्ष लगाये गये है।
ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई। गारलेण्ड एवं सेटलिंग टैंक बना है किन्तु क्षतिग्रस्त है
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैचेस की स्थिति।	अवलोकित है। जिनकी गहराई 2 मी. है।
ल्टर, शौचालय, पीने के पानी की व्यवस्था की वर्तमान	है।

के तहत किया गया कार्य	जय स्तम्भ चौराहा, श्यैपुर पर वाटर कूलर लगवाया गया
-----------------------	---

प्रस्तुतीकरण के पश्चात समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए:-

1. प्राप्त सीटीओ मात्र खनन कार्य के लिए है अतः चिमनी(क्लिन) का उल्लेख कराते हुए संशोधित सीटीई प्राप्त करें।
2. बोर्ड से सीटीओ मेसर्स राधिका ब्रिक्स इंडस्ट्रीज के नाम से प्राप्त की गई है जबकि आवेदन में नाम श्री मनोज सराफ मेसर्स रूपनगर सोइल क्वेरी है अतः नाम में आवश्यक संशोधन कराते हुए सीटीई प्राप्त करें।
3. समिति के सुझाए अनुसार संशोधित ईएमपी एवं सीआर योजना प्रस्तुत करें।

13. Case No. P2/1756/2025, Rajkumar Singh S/o Virendar Singh Resi. -Gram-Kaytha, Tehsil-Tarana and District-Ujjain (Madhya Pradesh) Prior Environment Clearance for Molga stone (gitti) and M-Sand Quarry in an area of 1.0 ha. [Gitti-4,000 m³/year and M-Sand-4,000 m³/year], (Khasra No. 3/1 (Govt. Land), Village: -Molga, Tehsil- Tarana, District: -Ujjain (M.P) (534640) (Fresh -B2).

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 23/8/2025 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री शिशुपाल वर्मा Super Tech Environmental Services, Bhopal (M.P.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri Rajkumar singh sisodiya, Owner, R/o-Village- Kaytha Tehsil-Tarana, District-Ujjain, M.P.	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	3/1 (सरकारी लैंड)	1.0 hectare.
स्थल	ग्राम मोलगा, तहसील तराना, जिला उज्जैन (M.P.).	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के पत्र क्रमांक 2553 दिनांक 30/9/2024 के द्वारा 10 वर्ष के लिए स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रकरण ।	
लीज क्षेत्र में केशर की स्थिति	आवेदित फार्म के सरल क्रमांक 16.9 अनुसार लीज क्षेत्र में केशर/एमसैंड प्लांट प्रस्तावित है।	
बोर्ड द्वारा जारी सम्मति की स्थिति	क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उज्जैन द्वारा जारी स्थापना सम्मति (सीटीई) की Outward No:22027 दिनांक 12/06/2025 वैधता grants NOC/ Consent to Establish for setting up of an industrial plant/activities at 3/1, Molga Stone Quarry,, Village/City: Molga, Tehsil: Tarana, Dist. Ujjain है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर-4000 घनमीटर/वर्ष एवं एम सैंड - 4000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर-4000 घनमीटर/वर्ष एवं एम सैंड - 4000 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के पत्र क्रमांक 678 दिनांक 12/3/2025 के अनुसार 500 मीटर की परिधि 01 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 1.410 होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।	

राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण / एसईजेडसे दूरी कोर/ जैव विविधता बफर	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के पत्र क्रमांक 678 दिनांक 12/3/2025 के अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है ।
प्रस्तावित स्थल से 250 मीटर की दूरी पर वन क्षेत्र की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के पत्र क्रमांक 678 दिनांक 12/3/2025 के अनुसार 250 मीटर की परिधि में वन क्षेत्र नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के पत्र क्रमांक 678 दिनांक 12/3/2025 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाईन / सार्वजनिक भवन / शमशान घाट / राष्ट्रीय राजमार्ग / संवेदनशील क्षेत्रों जैसे: रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय /नदी / तालाब / बांध / स्टॉप डैम / नहर / ग्रामीण कच्चा / पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत मल्लुपुरा जिला उज्जैन के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-02 दिनांक 07/6/2024 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य हेतु कोई आपत्ति नहीं है का प्रस्ताव पारित।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	• प्रस्तावित खदान क्षेत्र में स्थित पेड़ों की संख्या -08 • काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या -02
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	दक्षिण दिशा - -उत्खनिपट्टे से दक्षिण दिशा में लगभग 97 मीटर पर नदी स्थित है जिसके सम्बन्ध में पर्यावरण सलाहकार द्वारा बताया गया कि अनुमोदित खनन योजना अनुसार नदी से 100 मीटर की दूरी तक कोई भी खनन कार्य नहीं किया जावेगा एवं शेष क्षेत्र में खनन कार्य बिना ब्लास्टिंग के रॉक ब्रेकर के माध्यम से किया जावेगा - उक्त नदी पर दक्षिण दिशा में 120 मीटर की दूरी पर एक जल रोकने की संरचना स्थित है जिसके सम्बन्ध में पर्यावरण सलाहकार द्वारा बताया गया कि अनुमोदित खनन योजना अनुसार खनन कार्य बिना ब्लास्टिंग के रॉक ब्रेकर के माध्यम से किया जावेगा -उत्खनिपट्टे से दक्षिण दिशा में 160 मीटर पर एक नाला स्थित है। पूर्व दिशा -उत्खनिपट्टे से पूर्व दिशा में लगभग 200 मीटर की दूरी पर कच्चा रास्ता गुजर रहा है ।
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के पत्र क्रमांक 678 दिनांक 12/3/2025 के अनुसार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 की बनी है एवं

	उक्त उत्खनिपट्टा तत्पश्चात स्वीकृत हुआ है आगामी नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित कर लिया जावेगा ।
--	---

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति द्वारा पाया गया की उत्खनिपट्टे क्षेत्र में खुदा हुआ परिलक्षित हो रहा है जिसके सम्बन्ध में पर्यावरण सलाहकार द्वारा बताया गया कि परिलक्षित हो रहा गड्डा नवीन सैद्धांतिक स्वीकृति दिनांक 30-09-2024 से पहले का खुदा हुआ है जिसका उल्लेख अनुमोदित खनन योजना में भी किया गया है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विषिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार उत्पादन क्षमता - गिट्टी 4,000 घनमीटर/वर्ष एवं एम् -सैंड 4,000 घनमीटर/वर्ष।
2. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार खदान क्षेत्र के उत्तर-पश्चिम दिशा में क्रशर/एमसेंड प्लांट प्रस्तावित है। म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित क्रशर/ एमसेंड प्लांट में वायु प्रदूषण रोधि उपकरणों की स्थापना तथा प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जावेगी।
3. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 15.57लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 2.24 लाख प्रति वर्ष।
4. अनुमोदित खनन योजना अनुसार उत्खनिपट्टे में ब्लास्टिंग नहीं की जावेगी ।
5. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु 1.30 लाख तथा सी.ई.आर में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 1 वर्ष में पूर्ण किये जाये ।

सी.ई. आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि		
1.	Solar panel system of 2.0 kw capacity will be installed at the village primary school mallupura. (excluding subsidy) & along with whitewash of the same school with educational paintings on the walls regarding environment awareness along with this science related educational items will be given to the children.	1,30,000/-
Total		1,30,000/-

6. वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1220 वृक्षों का वृक्षारोपण ।

14. Case No. P2/1757/2025. Aadi Yogi Mines Llp,310, Plot No. 04, Top Floor, Vardhman Taru Plaza, CU Block Local ShopingCenter, Pithampura, Delhi-110034 ,Prior Environment Clearance for Aindalpur Stone & M-Sand Mine, Khasra Number- 109, [Proposed Production (Gitti - 3061 cum, Msand- 68362 cum (Existing-27551 cum, Proposed-40811 cum)] Village-Aindalpur, Tehsil-Kurwai& District Vidisha (MP) (541017).B-2 - Expansion Project.

The proposed mine is of prior environmental clearance under category B-2, in which today on 23/08/2025 the Project Proponent's Environmental Consultant Shri Pradeep Lodhi FAE, M/s. Oceao Enviro Management Solutions (India) Pvt. Ltd., appeared and made a presentation before the committee.

Project Details	Documents submitted by the project proponent	
Name and address of the project proponent	Aadi Yogi Mines Llp,310, Plot No. 04, Top Floor, Vardhman Taru Plaza, CU Block Local ShopingCenter, Pithampura, Delhi-110034	
Khasra No. Area (Government/Private)	109, Government	4.00 Ha
Location	Village-Aindalpur, Tehsil- Kurwai,, District – Vidisha, Madhya Pradesh.	
lease approval	Approved by letter No. 1789.Dated 01/08/2022of the Office of Collector (Mineral Branch), District- Vidisha,	
Blasting/Rock Breaker	Blasting is proposed	
case status	SEIAA, dated – 09/12/2022 production capacity – 30612 m3 /year	
Production capacity	Gitti- 3061 m3/year, M –Sand- 68,363 m3/year. Total production – 71424 m3/ year	
Other mines within 500 meter radius	According to the EKAL certificate number - 1410/खनिज/2025, dated 02/06/2025 of the Office Collector (Mineral Branch) District Vidisha, there are no other mines are operated / approved within the radius of 500 meters, thus the total area is 4.00 ha. It happens, hence the case is of B-2 category.	
Distance from National Park/Sanctuary/SEZ to Core/Biodiversity Buffer	According to the EKAL certificate number 1410/खनिज/2025, dated 06/06/2025 of the Office Collector (Mineral Branch) District Vidisha, there is no National Park/Sanctuary/Eco Sensitive Zone Biodiversity area located within the radius of 10 kilometers.	
Situation of forest area at a distance of 250 meters from the proposed site	According to the EKAL certificate number 1410/खनिज/2025, dated 06/06/2025 of the Office Collector (Mineral Branch) District Vidisha, there is no forest area within the radius of 250 meters.	
Tehsildar's no objection	As per EKAL certificate No. 1410/खनिज/2025, dated 06/06/2025 of the Office Collector (Mineral Branch) District Vidisha, within a radius of 500 meters there is no human settlement, educational institution, hospital, archaeological heritage, monument of national importance, railway line / public building / cremation ground, National Highway / sensitive areas such as: radio station, Doordarshan, airport, defense institute.	

NOC from Gram Sabha/Gram Panchayat	कार्यालय ग्रामपंचायत-भौरासा, जनपद पंचायत कुरवाई, जिला-विदिशा (म.प.) के प्रस्तावदिनांक 27/01/2022 द्वारा अनापत्तिपत्र जारी किया गया है।
Present status of trees at the proposed site	Tree Existing - No
Current status of the proposed site as per Google Image	North- East- Kachha Road - 437 Mt
Status of the proposed mine in the district survey report	District Survey Report (Minor Minerals) District- Vidisha Year 2021-20 के पृष्ठ नंबर 81 के सरल क्रमांक 4 पर अंकित है।

During presentation the Env. Consultant submitted that -:

- **Expansion of Aindalpur Stone & M-Sand Mine.**
- Earlier for this project they have obtained EC vide no, EC22B000MP110134, case no. 9379/2022 for Gitty and M-Sand Quarry for Stone & M-Sand Quarry in an area of 4.0 ha. (30612 Cum per annum) (Khasra No. 109), Village - Aindalpur, Tehsil - Kurwai, Dist. Vidisha (MP). Recommended in the SEAC 604th meeting dated 05.11.2021
- The existing project proposes only increase in production capacity of M-Sand from 27551 cum/year to 68363 cum/year and Gitti from 3061 cum/year .
- Mineral will be extracted using open cast mechanized method. The project falls under category "B" project or activity 1(a) (i), Mining of Mineral as per EIA notification 2006 and its amendments.

प्रस्तुतीकरण के पश्चात समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरण सलाहकार को निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए:-

1. प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि पूर्व में खदान संचालित नहीं हुई है अतः खनिज अधिकारी द्वारा प्रमाणिक जानकारी/डेड रेंट रिसीप्ट की प्रतियां प्रस्तुत करें।
2. प्रस्तुतीकरण के दौरान पर्यावरण वन मंत्रालय की सर्टिफाइड कंप्लाइंस रिपोर्ट की अधिकांश शर्तों का पालन प्रतिवेदन दृष्टिगत नहीं हुआ अतः इसी शर्तों का पालन प्रमाणिक दस्तावेजों एवं जियोटेग फोटोग्राफ्स के साथ प्रस्तुत करें।
3. समिति द्वारा सुझाए अनुसार ईएमपी एवं सीआर योजना

15. Case No P2/1763/2025 Shri AVNISH GARG, Lease owner, R/o- 35, Shalini marg, gram- Sardarpur, Tehsil- Sardarpur, district- Dhar (M.P.) Prior Environment Clearance for M/s Badveli Stone Quarry in an area of 4.0 ha. (Stone – 19,000 cum per year) (Khasra No. 1157, 1164 Govt Land), Village- Badveli, Tehsil – Sardarpur, District- Dhar (MP).[518635] (B2)

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 23/8/2025 को परियोजना प्रस्तावक श्री अवनीश गर्ग ऑनलाइन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्रीमति मीना चौरसिया, एफएई, मेसर्स Aseries Envirotek India Pvt. Ltd., Lucknow उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri AVNISH GARG, Lease owner, R/o- 35, Shalini marg, gram- Sardarpur, Tehsil- Sardarpur, district- Dhar (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	1157, 1164 (सरकारी लैंड)	4.0 hectare.
स्थल	ग्राम बडवेली, तहसील सरदारपुर, जिला धार (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के पत्र क्रमांक 1303 दिनांक 18/6/2024 के लिए स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रकरण ।	
लीज क्षेत्र में केशर की स्थिति	आवेदित फार्म के सरल क्रमांक 16.9 अनुसार लीज क्षेत्र में केशर प्रस्तावित नहीं है।	
बोर्ड द्वारा जारी सम्मति की स्थिति	क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इंदौर द्वारा जारी स्थापना सम्मति (सीटीई) की Outward No:29210 दिनांक 12/06/2025 वैधता दिनांक Consent to Establish upto 03/06/2030 तक है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर-19000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर-19000 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1589 दिनांक 15/7/2024 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।	
राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण एसईजेड /से दूरी कोर/ जैव विविधता	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1589 दिनांक 15/7/2024 के अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है ।	

बफर	
प्रस्तावित स्थल से 250 मीटर की दूरी पर वन क्षेत्र की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1589 दिनांक 15/7/2024 के अनुसार 250 मीटर की परिधि में वन क्षेत्र नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1589 दिनांक 15/7/2024 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में दक्षिण-पश्चिम दिशा में लगभग 180 मीटर पर तालाब एवं पूर्व दिशा में ग्रामीण कच्चा रास्ता है ।
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत बड़वेली जिला धार के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक- 01 दिनांक 28/2/024 अनुसार (पैसा समिति के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया) प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य हेतु समिति कोई आपत्ति नहीं है इस प्रस्ताव का सर्वसहमति से अनुमोदन किया जाता है ।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Existing - 02 Tree Felling - No
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	दक्षिण दिशा- तालाब – 95 मी. इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक ने 105 मी. का गैर खनन क्षेत्र प्रस्तावित किया है।
	पूर्व दिशा- प्राकृतिक नाला – 149 मी.
	पश्चिम दिशा- तालाब – 80 मी. परियोजना प्रस्तावक ने 120 मी. का गैर खनन क्षेत्र प्रस्तावित किया है।
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1589 दिनांक 15/7/2024 के अनुसार उपरोक्त खदान के अनुबंध/निष्पादन तथा पंजीयन की कार्यवाही पूर्णपूर्ण होने के पश्चात् आगामी नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित कर लिया जावेगा ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान पर्यावरण सलाहकार द्वारा बताया गया कि पेसा संबंधी अनापत्ति कार्यालय ग्राम पंचायत बड़वेली जनपद पंचायत सरदारपुर धार से दिनांक 28/02/24 को पेसा एक्ट समिति से प्राप्त की गई है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विषिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता पत्थर-19000 घनमीटर/वर्ष
2. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार खनन हेतु ब्लास्टिंग प्रक्रिया प्रस्तावित नहीं है।
3. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार खनन हेतु ब्लास्टिंग प्रक्रिया प्रस्तावित नहीं है।
5. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 15.67 लाख एवं रिक्ररिंग राशि रु. 4.41 लाख प्रति वर्ष

6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 1.40 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये:-

Sr.No.	Description	Cost to be incurred (in Rs./Year)
1.	3.0KWA capacity solar panel system will be installed at the Government Girls HS School located in Village Sardarpur.	Rs.1,20,000/-
2.	Electrical Sanitary Disposal Machine at the Government Girls HS School located in Village Sardarpur.	Rs.20,000/-
Total		140000

7. वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1980 वृक्षों का वृक्षारोपण किया जावेगा ।

- 16. Case No P2/1762/2025 Shri Jeetendra Mangal, Near Axis Bank, Shivpuri Road, Sheopur (M.P.) – 476337. Prior Environment Clearance for M/s Nagda Soil Deposit quarry. It comes under the B2 Category. We are using an open-cast semi-mechanised mining method with an annual production is 3,200 cubic meters. Previous EC issued by DEIAA Sheopur at Khasra no. - 928, Area - 2.00 Ha, Village- Nagda, Tehsil – Sheopur, District – Sheopur (M.P.). [537887] (B2)**

प्रकरण आज सेक की 821वीं बैठक दिनांक 23/08/2025 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए एवं ऑनलाईन भी नहीं जुड़े। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक से कोई सूचना भी प्राप्त नहीं है। प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात प्रकरण की समीक्षा हेतु विचार किया जा सकेगा ।

17. Case No P2/1764/2025 Shri MAHENDRAPAL SINGH DODIYA, Project Proponent, Village - Khadi, Tehsil - Polaykalan, District Shajapur (MP). Prior Environment Clearance for M/s Khadi Stone (Gitti) and M-Sand Quarry in an area of 1.0 ha. (Stone – 5000 cum per year and M-Sand 5000 cum per year) (Khasra No. 2057/8/2/4 Govt. Land), Village- Khadi, Tehsil Polaykalan District- Shajapur (MP).[522097] (B2)

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 23/8/2025 को परियोजना प्रस्तावक श्री महेन्द्र पाल सिंह, एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री मोहित मालवीय, मेसर्स AGS Environmental Services Pvt. Ltd., Delhi उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri MAHENDRAPAL SINGH DODIYA, Project Proponent, Village - Khadi, Tehsil - Polaykalan, District Shajapur (MP).	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	2057/8/2/4 (सरकारी लैंड)	1.0 hectare.
स्थल	ग्राम खड़ी, तहसील पोलयकला, जिला शाजापुर (M.P.).	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर के पत्र क्रमांक 1872 दिनांक 27/11/2024 के द्वारा 10 वर्ष के लिए स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रकरण ।	
लीज क्षेत्र में केशर की स्थिति	आवेदित फार्म के सरल क्रमांक 16.9 अनुसार लीज क्षेत्र में केशर प्रस्तावित है।	
बोर्ड द्वारा जारी सम्मति की स्थिति	क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उज्जैन द्वारा जारी स्थापना/संचालन सम्मति (सीटीई/सीटीओ) की Outward No:22053 दिनांक 17/06/2025 वैधता दिनांक Consent to Establish upto 14/05/2030 for setting up of an industrial plant/activities at Khasra no.2057/8/2/4 (Govt. Land), VILLAGE – KHADI, TEHSIL – POLAY KALAN, DISTRICT – SHAJAPUR(M.P.). तक है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर-5000 घनमीटर/वर्ष एवं एम सैंड 5000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर-5000 घनमीटर/वर्ष एवं एम सैंड 5000 घनमीटर/वर्ष है।	

500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 209 दिनांक 30/1/2025 के अनुसार 500 मीटर की परिधि कोई अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।
राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण एसईजेड / से दूरी कोर/ जैव विविधता बफर	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 209 दिनांक 30/1/2025 के अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है ।
प्रस्तावित स्थल से 250 मीटर की दूरी पर वन क्षेत्र की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 209 दिनांक 30/1/2025 के अनुसार 250 मीटर की परिधि में वन क्षेत्र नहीं है ।
तहसीलदार की अनापति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 209 दिनांक 30/1/2025 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन / सार्वजनिक भवन / शमशान घाट / राष्ट्रीय राजमार्ग / संवेदनशील क्षेत्रों जैसे: रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय /नदी / तालाब / बांध / स्टॉप डैम / नहर / ग्रामीण कच्चा / पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापति	ग्राम पंचायत खड़ी, जिला शाजापुर के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 20/9/2024 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य हेतु अनुमति प्रदान की जाती है।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार ने अवगत कराया कि खदान क्षेत्र में 02 पेड़ हैं जो कि प्रतिस्थापित करेंगे।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा- - दक्षिण पूर्व दिशा- शेड - 132 मी. में स्थित है। इस संबंध में नगर परिषद से पत्र क्रमांक 150 दिनांक 22/08/25 के माध्यम से अनापति प्राप्त की गई है। - दक्षिण पूर्व दिशा - कच्चा रोड़ 60 मी. - दक्षिण दिशा -132मी. शेड
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 209 दिनांक 30/1/2025 के अनुसार उक्त उत्खनिपट्टा को अनुमादित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित कर लिया जावेगा ।

समिति द्वारा प्रस्तुतीकरण के पश्चात पर्यावरण सलाहकार से निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए:-

1. परिवेश पोर्टल पर पार्ट ए एवं पार्ट-बी में सुझाए अनुसार आवश्यक संशोधन।
2. समिति द्वारा सुझाए अनुसार संशोधित ईएमपी एवं सीईआर योजना ।

18. Case No 10784/2023 Shri Bhanu Kumar Jain, Partner, M/s Mahaveer Stone Crusher, R/o Village-Budiya, Tehsil-Ishagarh, District-Ashok Nagar (MP)-473338, Prior Environment Clearance for M/s MAHAVEER STONE CRUSHER, Uchawad Sand Quarry in an area of 4.00 ha. (30780 cum per year) (Khasra No. 375), Village-Lahadpur, Tehsil-Isagarh, District-Ashok Nagar (MP) [519078] [DEIAA to SEIAA] Referred Back (EIA)

- Earlier this case was discussed in 775th SEAC meeting dated 21/02/2025 wherein EC was Recommended.
- Case was Referred back in the 844th SEIAA meeting dated 07/05/2025

SEIAA 844th meeting dated 07/05/2025

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 775वी बैठक दिनांक 21.02.2025 एवं 777वीं बैठक दिनांक 11.03.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण का अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टया निम्नानुसार स्थिति पाई गई :-

- I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना की वैधता दिनांक 20.06.2024 को समाप्त हो गई है।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन फार्म, शपथ पत्र एवं अन्य दस्तावेजों में पार्टनर का नाम भिन्न भिन्न है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि प्रकरण में उपरोक्त बिन्दुओं के अनुसार पार्टनर का नाम सभी दस्तावेजों में भिन्न-भिन्न है का स्पष्टीकरण एवं जानकारी प्राप्त कर पुनः परीक्षण किये जाने हेतु प्रकरण SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

Earlier w.r.t. SEIAA query this was discussed in the 813th SEAC meeting dated 22.07.2025 and after discussion the Committee issued following query: -

समिति द्वारा यह पाया गया कि अनुमोदित नवीन खनन स्कीम परिवेश पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है अतः नवीन खनन स्कीम अनुमोदित करवाकर परिवेश पोर्टल पर ADS के माध्यम से अपलोड किया जावे तत्पश्चात् प्रकरण विचार किया जावेगा।

इसी क्रम में उक्त विषय में प्रकरण आज दिनांक 23.08.2025 सेक बैठक क्रमांक 821 में सम्मिलित किया गया जिसमें परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजरात उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

जिसमें पर्यावरण सलाहकार द्वारा यह अवगत कराया गया की, क्षेत्रीय कार्यालय, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म ग्वालियर (म.प्र.) दिनांक 31.07.2025, द्वारा अनुमोदित नवीन खनन स्कीम, 06.08.2025 को परिवेश पोर्टल पर ADS माध्यम से अपलोड की गई है। जिसका समिति द्वारा अवलोकन किया गया तथा प्रस्तुत जानकारी संतोषजनक पाई गई।

इसके अतिरिक्त पर्यावरण सलाहकार ने प्रस्तुतीकरण के दौरान यह अवगत कराया गया की सेक बैठक क्र. 813 दिनांक 22/07/2025 में इस प्रकरण के पक्ष में जारी कार्यवाही विवरण में बी-2_श्रेणी का उल्लेख हो गया था जिसके स्थान पर बी-1_श्रेणी होना चाहिए थी एवं पर्यावरणीय सलाहकार Shri Shishupal Verma, M/s Super Tech, Environmental Services, Bhopal (M.P) उल्लेखित हो गया था जिसकी जगह पर्यावरणीय सलाहकार Shri Ram Raghav, M/s Green Circle INC, Vadodara, Gujrat होना चाहिए था,

समिति द्वारा परीक्षण उपरांत यह पाया गया कि यह त्रुटिवश उल्लेखित हो गया है अतः प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी की के स्थान पर बी-1 श्रेणी पड़ा जावे एवं पर्यावरणीय सलाहकार Shri Shishupal Verma, M/s Super Tech, Environmental Services, Bhopal (M.P) की जगह पर्यावरणीय सलाहकार Shri Ram Raghav, M/s Green Circle INC, Vadodara, Gujrat पड़ा जावे।

अतः पूर्व में 813वीं SEAC बैठक दिनांक 22/07/2025 में प्रस्तुत की गई जानकारी एवं अपलोड की गई नवीन खनन स्कीम का समिति द्वारा अवलोकन कर जानकारी को सम्मिलित करते हुए तथा पूर्व में SEAC बैठक क्रमांक 775 दिनांक 21/02/2025 एवं बैठक क्रमांक 777 दिनांक 11/03/2025 में की गई अनुशंसा को यथावत रखने का निर्णय लिया गया।

19. Case No 11028/2023 Shri Anil Kumar Agrawal, Partner, M/s Mahakaleshwar Stone Crusher, R/o Bag Baba Sahib ka Bara, District-Dholpur (RJ)-328001, Prior Environment Clearance for M/s Dabradinara Stone Quarry in an area of 4.00 ha. (40000 cum per year) (Khasra No. 225/1), Village-Dabra Dinara, Tehsil-Karera, District-Shivpuri (MP) [519652] [DEIAA] Referred Back (EIA)

- Earlier this case was discussed in 774th SEAC meeting dated 18/02/2025 wherein EC was Recommended.
- Case was Referred back in 844th SEIAA meeting dated 07/05/2025

844th SEIAA meeting dated 07/05/2025

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 774वी बैठक दिनांक 18.02.2025 एवं 777वी बैठक दिनांक 11.03.2025 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश अनुसार गूगल ईमेज के आधार पर प्रस्तावित खदान का बैरियर जोन खुदा हुआ परिलक्षित है, इसके उपरांत भी SEAC द्वारा प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई है। भारत सरकार MoEF&CC के कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 08.01.2019 के बिन्दु क्रमांक VIII के बिन्दु I में स्पष्ट लेख है कि 7.5 मीटर का बैरियर जोन ग्रीन बेल्ट हेतु अनिवार्य है। प्रश्नाधीन प्रकरण में बैरियर जोन खुदा होने के बाद भी अनुशंसा की गई।
2. प्रस्तावित खदान का विवरण अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित नहीं है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त के बिन्दुओं के दृष्टिगत प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्रदान नहीं की जा सकती है अतः प्रकरण में SEAC द्वारा अपना अभिमत प्रस्तुत किया जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

Earlier w.r.t. SEIAA query this was discussed in the 813th SEAC meeting dated 22.07.2025 and after discussion the Committee issued following query: -

- डीएसआर में लीज क्षेत्र को शामिल करने संबंधी पत्र को परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया जाए।
- बैरियर जोन क्षेत्र खुदा हुआ है अतः भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 08/01/2019 के पालनार्थ पुर्नभरण करवाकर वृक्षारोपण कर संरक्षित कराएं तथा प्रमाणिक पालन प्रतिवेदन जियोटेग फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत करें।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, जिसे आज दिनांक 23/08/2025 को समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण हेतु रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार Sh. Shishupal Verma, M/s. Super Tech, Environmental Services, Bhopal(M.P.). उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष सिया द्वारा उठाये गये बिन्दुओं के संदर्भ में प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, जिसे आज दिनांक 23/08/2025 को समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण हेतु रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजरात उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया। जिसमें हुई चर्चा का विवरण निम्नानुसार है :

प्रस्तावक द्वारा उक्त उत्खनिपट्टे का डीएसआर में लीज क्षेत्र को शामिल करने संबंधी पत्र कलेक्टर कार्यालय (खान शाखा), शिवपुरी से दिनांक 03-02-2025 को पत्र क्रमांक के माध्यम से DSR पत्र प्राप्त किया गया 164/3-6/खनि/Q-L-6/21/2025 है। जिसे परिवेश पोर्टल पर ADS के माध्यम से दिनांक 06-08-2025 को जमा कर दी गई है ।

इसके अतिरिक्त, बैरियर ज़ोन क्षेत्र में किए गए उत्खनन संबंधी जानकारी उसी ADS उत्तर के संलग्नक-03 में दी गई है। इस विषय पर SEAC की 813वीं बैठक दिनांक 22.07.2025 में भी चर्चा की गई थी, जिसका विवरण उक्त बैठक की कार्यवाही में दर्ज है। समिति ने अवलोकन किया कि लीज क्षेत्र का बैरियर ज़ोन , लीज स्वीकृति एवं आवेदक को खदान आवंटन से पहले ही उत्खनित स्थिति में था, जो बैंक डेट की गूगल सैटेलाइट इमेज से भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।

इसके अतिरिक्त पर्यावरण सलाहकार ने प्रस्तुतीकरण के दौरान यह अवगत कराया गया की सेक बैठक क्र. 813 दिनांक 22/07/2025 में इस प्रकरण के पक्ष में जारी कार्यवाही विवरण में बी-2 श्रेणी का उल्लेख हो गया था जिसके स्थान पर बी-1 श्रेणी होना चाहिए थी एवं पर्यावरणीय सलाहकार Shri Shishupal Verma, M/s Super Tech, Environmental Services, Bhopal (M.P) उल्लेखित हो गया था जिसकी जगह पर्यावरणीय सलाहकार Shri Ram Raghav, M/s Green Circle INC, Vadodara, Gujrat होना चाहिए था,

समिति द्वारा परीक्षण उपरांत यह पाया गया कि यह त्रुटिवश उल्लेखित हो गया है अतः प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी की के स्थान पर बी-1 श्रेणी पड़ा जावे एवं पर्यावरणीय सलाहकार Shri Shishupal Verma, M/s Super Tech, Environmental Services, Bhopal (M.P) की जगह पर्यावरणीय सलाहकार Shri Ram Raghav, M/s Green Circle INC, Vadodara, Gujrat पड़ा जावे।

अतः पूर्व में 813वीं SEAC बैठक दिनांक 22/07/2025 में प्रस्तुत की गई जानकारी एवं उपरोक्त ADS रिप्लाइ के माध्यम से दी गई जानकारी का समिति द्वारा अवलोकन कर जानकारी को सम्मिलित करते हुए तथा पूर्व में **SEAC बैठक क्रमांक 774 दिनांक 18/02/2025 एवं बैठक क्रमांक 777 दिनांक 11/03/2025 में की गई अनुशंसा को यथावत रखने का निर्णय लिया गया।**

20. Case No 10850/2023 Ms. Mohani Bai, Lessee, R/o Village-Aariya, Tehsil-Bagli, District-Dewas (MP)-455227, Prior Environment Clearance for M/s Eklara Stone Quarry in an area of 1.430 ha. (15000 cum per year) (Khasra No. 584), Village-Eklara, Tehsil-Bagli, District-Dewas (MP) [518164] (EIA).

Earlier this case was discussed in the 812th SEAC meeting 19.07.2025 wherein after discussion following query was issued: -

- CTE or comments from MPPCB as per MoEF&CC O.M. dated 14/01/2025 are required to be uploaded on the Parivesh Portal.
- EIA chapter 04 page152 table 4-11 predicted GLC of PM₁₀ is reported 92 to 98.54 microgram /Nm³ hence protection plan to maintain PM₁₀ well within limits is required along with revised EMP.

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, जिसे आज दिनांक 23/08/2025 को समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण हेतु रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजराज उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

पर्यावरण सलाहकार ने प्रस्तुतीकरण के दौरान यह अवगत कराया गया की सेक बैठक क्र. 812 दिनांक 19.07.2025 में इस प्रकरण के पक्ष में जारी कार्यवाही विवरण में सारणी के अंतर्गत उल्लिखित लीज स्वीकृति, प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति, प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति, वास्तविक जानकारी से भिन्न है।

समिति द्वारा परीक्षण उपरांत यह पाया गया कि उक्त विवरण त्रुटिवश दर्ज हो गया है। अतः निम्नांकित सारणी में उल्लेखित जानकारी को, सेक बैठक क्र. 812 दिनांक 19.07.2025 में जारी कार्यवाही विवरण में उल्लेखित उपरोक्त विवरणों के स्थान पर सही मानते हुए पढ़ा जावे।

लीज स्वीकृति	संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, भोपाल मध्यप्रदेश के पत्र क्रमांक 12616-20 भोपाल दिनांक 21.09.2023 के द्वारा स्वीकृत है। इसके पश्चात संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, भोपाल मध्यप्रदेश के पत्र क्रमांक 4472-74 भोपाल दिनांक 15/04/2025 के द्वारा समयावधि दिनांक 21.09.2024 से 12 माह तक बढ़ाई गई।
प्रस्तावित स्थल पर	लीज में स्थित पेड़ों का विवरण- 10

वृक्षों की वर्तमान स्थिति	कोई पेड़ काटा जाना प्रस्तावित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	पूर्व दिशा - पूर्व दिशा में 45 मी. पर कच्चा रास्ता स्थित हैं जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह अवगत करवाया गया की, रास्ते से 50 मीटर तक कोई खनन कार्य नहीं किया जावेगा।
	उत्तर - 390 मी. पर वेयर हाउस स्थित हैं।
	उत्तर पूर्व - उत्खनिपट्टे से उत्तर पूर्व दिशा में 55 मीटर पर हाई टेंशन टावर परिलक्षित हो रहा है जिसके संदर्भ में पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुतीकरण में कार्यालय अधीक्षण यंत्री (संचा./संव.) वृत्त म.प्र.प.क्षे. विद्युत वितरण कंपनी लिमि. पत्र क्र./अयं/देवृ/कार्य/24-25/6592 देवास, दिनांक- 22/10/2024 द्वारा जारी अनापत्ति पत्र प्रस्तुत किया गया।

अतः समिति उपरोक्त ADS रिप्लाइ के माध्यम से दी गई जानकारी को सम्मिलित करते हुए, पर्यावरण सलाहकार द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विषिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुसंधा करती है:-

- अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता — 15,000 घनमीटर/वर्ष पत्थर।
- पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 12.09 लाख एवं रिक्ररिंग राशि रु. 3.07 लाख प्रति वर्ष।
- ब्लास्टिंग प्रक्रिया में नियमानुसार सुरक्षात्मक उपायों का अनुपालन करते हुए आसपास के राहगीरों/कृषि भूमि/संरचना/पर्यावरण/जल निकायो/वृक्षों आदि की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।
- परियोजना प्रस्तावक के अनुसार खदान क्षेत्र में क्रेशर प्लान्ट प्रस्तावित नहीं है।
- सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु 1.40 लाख तथा सी.ई.आर में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 1 वर्ष में पूर्ण किये जाये ।

Particular	Budget
Solar panel of 3.0 kW capacity will be installed by project proponent at the Government Middle School located in Village Bhamori. (Excluding Subsidy).	₹ 1,20,000/-

Painting village Government Middle school walls with colorful educational & science-related themes.	₹ 20,000/-
---	------------

- वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम **1820** पौधों का वृक्षारोपण ।

21. Case No. 11170/2024 - Shri Mayank Singh Sikarwar S/o Shri Mahendra Singh Sikarwar., R/o:- 35 G, Vaktawar Ramnagar, Indore, Tehsil & District- Indore (M.P.), Prior Environment Clearance for Deopipalya Stone Quarry in an area of 4.99 ha., [24,832 m³/year Stone (Gitti), and 12,800 m³/year Overburden], Khasra No. 303, (Govt. Land), Village Deopipalya, Tehsil Bagli, District Dewas, (M.P.) [521462] (DEIAA -EIA).

Earlier this case was discussed in the 812th SEAC meeting 19.07.2025 wherein after discussion following query was issued: -

- EIA ch. 04 page162 table 4-11 predicted GLC of PM₁₀ is reported 88 to 94.90 microgram /Nm³ hence protection plan to maintain pm10 well within limits is required along with revised EMP.

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, जिसे आज दिनांक 23/08/2025 को समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण हेतु रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजरात उपस्थित हुए और उनके द्वारा प्रस्तुतीकरण दिया गया जिसमें पर्यावरण सलाहकार द्वारा यह अवगत कराया गया की सेक बैठक क्रमांक 812 दिनांक 19.07.2025 में चाही गई जानकारी परिवेश पोर्टल पर ADS के माध्यम से Action Plan to Control PM Concentration – Air Pollution Mitigation & Revised EMP Measures दिनांक 06.08.2025 को जमा कर दी गयी है। जिसका समिति द्वारा अवलोकन किया गया तथा प्रस्तुत जानकारी संतोषजनक पाई गई।

Committee after discussion recommended the case for Prior Grant of EC, as per condition made in the 812th SEAC meeting dated 19.07.2025.

Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:

Annexure- 'A'

Standard conditions applicable to Stone/Murram and Soil quarries:

1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded along with annual record of water consumed in sprinkling during Summer (February to May/June) and winter session (October to January) separately.
4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
12. Six monthly occupational health surveys of workers for Cardio-vascular & Pulmonary health, vital parameters as prescribed by concerned regulatory authority shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.

23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora , fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
29. A display board (in hindi) with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - a. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - c. Length, breadth, sanctioned depth of mine and mining time.
 - d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - e. Method of mining (Manual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
 - f. Plantation and CER activities.
30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. Before onset of monsoon season as per submitted plantation scheme fruit bearing species preferably of fodder / native shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
37. The project proponent shall comply the MOEF&C's O.M. dated 24 July 2024 for ensuring plantation.
38. **लीज क्षेत्र के अंदर में केवल केशर /एम-सेड प्लांट स्थित है, परियोजना प्रस्तावत निम्न शर्तों का पालन करेगा।**
 - खनन क्षेत्र में प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
 - म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।

39. कशर अथवा एम सैंड प्लांट प्रस्तावित नहीं है ,परियोजना प्रस्तावत निम्न शर्तों का पालन करेगा।
- परियोजना प्रस्तावक के अनुसार लीज क्षेत्र में केशर प्लांट/ एम.सेड प्लांट प्रस्तावित नहीं है, अतः लीज क्षेत्र में केशर प्लांट/एम.सेड प्लांट स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जा सकेगी।
 - खनन क्षेत्र से बाहर प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लांट/एम.सेड प्लांट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
 - म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लांट/एम.सेड प्लांट में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
40. यदि आवंटित खनन पट्टा भू-स्वामी की सहमति /अनुबंध पर हो तो परियोजना प्रस्तावत निम्न शर्तों का पालन सुनिश्चित करेगा।
1. **क्षतिपूर्ति के संबंध में:-**
- म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 247 (5) के तहत संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा भूमि स्वामियों की क्षतिपूर्ति के निर्धारण हेतु किये गये प्रावधानों/उपबंधों का पालन भूमि स्वामियों को समक्ष में सुनकर भूमि के सतह अधिकार के संबंध में क्षतिपूर्ति का निर्धारण सुनिश्चित किया जाये।
 - म.प्र. गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 9 (क) एवं नियम,06(क) के प्रावधान अंतर्गत कण्डिका 04 में किये गये प्रावधानों के अनुरूप सहमति धारक को उत्खनन पट्टा स्वीकृत होने पर, देय रॉयल्टी के 15 प्रतिशत के समतुल्य रकम का सहमति धारक को भुगतान सुनिश्चित किया जाये। उपरोक्त शर्तों का पालन भू-प्रवेश अनुमति के पूर्व सुनिश्चित किया जावे।

Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:

Annexure- 'B'

Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries*

- District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
- The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
- Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
- Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
- Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
- Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
- Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.
- Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be 1/4th or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
- Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
- PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain such audits be placed on public domain through website developed for public interface along with photographs of work done w.r.t. EMP as well as CER.
- No Mining shall be carried out during Monsoon season.
- The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.

13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.
18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - a. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - c. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - d. Minable Potential of sand mine.
 - e. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - f. Method of mining (Mannul/Semi Mechanised)
30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
 - i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
 - ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
 - iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
 - iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.
 - v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.
 - vi. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.

- vii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.
 - viii. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.
-
- 31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
 - 32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
 - 33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
 - 34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh “ANKUR YOJNA” by registering individual villagers on “Vayudoot app”. Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
 - 35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
 - 36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
 - 37. As per Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 , Page no. 24 Para (r) minimum 7.5 meters (inward) “from the river.....bank” shall be restricted should be followed in verbatim as the para says.
 - 38. The project proponent shall comply the MOEF&C’s O.M. dated 24 July 2024 for ensuring plantation.
 - 39. विगत वर्षों में जारी पूर्व पर्यावरण स्वीकृति में एवं वर्तमान में जारी पर्यावरण स्वीकृति में उल्लेखित समस्त शर्तों का पालन मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कॉर्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा।
- पूर्व एवं वर्तमान ई.सी. शर्तों का पालन प्रतिवेदन निर्धारित समयावधि में एम.ओ.ई.एफ. एण्ड सी.सी. तथा एम.पी. सिया, के समक्ष प्रस्तुत किया